# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(13)/ग्रावि./नरेगा/सा.अंके./पद सृजन/2010 /पार्ट–I

जयपुर दिनांक 21 FEB 2013

## कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद के अधीन सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय हेतु निम्नलिखित सृजित पदों की अवधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 28.2.2014 तक अथवा योजना की समाप्ति जो भी पहले हो तक बढायी जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :–

(i) राज्य स्तर पर सृजित पद :–

| क्र.सं. | पदनाम | पद पर नियोजन की प्रकृति | स्वीकृत पद |
|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण | प्रतिनियुक्ति | 1 |
| 2 | अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण | प्रतिनियुक्ति | 1 |
| 3 | उप निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण | प्रतिनियुक्ति | 1 |
| 4 | लेखाधिकारी | प्रतिनियुक्ति | 1 |
| 5 | सहायक लेखाधिकारी | प्रतिनियुक्ति | 3 |
| 6 | पीए/स्टेनो | प्रतिनियुक्ति | 3 |
| 7 | कनिष्ठ लेखाकार | प्रतिनियुक्ति | 4 |
| 8 | प्रोग्रामर | प्रतिनियुक्ति | 1 |

(ii) जिला स्तर पर सृजित पद :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लेखाधिकारी | प्रतिनियुक्ति | 33 (प्रत्येक जिले में एक पद) |

उक्त पदों पर होने वाल व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक एवं प्रबन्धन व्यय की राशि से पूरित होगा। योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी पदों पर होने वाले व्यय की सीमा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं इस विभाग के आदेश कमांक एफ 21(23)ग्रावि/नरेगा/2010 दिनांक 30.06.10 के अनुसार होगी। यह सुनिश्चित

→

करें कि प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक नहीं हो। पदों की प्रतिनियुक्ति बाबत शर्ते मूल स्वीकृति के अनुरूप रहेगी।

उक्त पदों की समय अवधि वृद्धि वित्त विभाग की अर्न्तविभागीय टीप सं0 101300348 दिनांक 31.01.2013 द्वारा प्रदत सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

(अमर कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय, ईजीएस एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. निजी सहायक, निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
11. उप शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग –1) विभाग, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
13. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद्, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस